

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वितीय अलवर (राज.)

संख्यांक: 221

दिनांक: 31.01.16

प्रबन्धक

विवेकानंद पब्लिक

स्कूल कुलेपुर (कोटकासिम)

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31.12.15 के आवेदन (प्रारूप 1 स्वघोषणा पत्र) और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं विवेकानंद

पब्लिक स्कूल कुलेपुर (कोटकासिम)

(विद्यालय का नमा पते सहित) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है ओर उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजारे वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-